



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1947 (श10)

(सं0 पटना 176) पटना, वृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2026

सं०सं०— पि0व0/मु0 मेधा0—40—07/2015—227
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

3 फरवरी 2026

विषय:— वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रू0 1,50,000/— मात्र को बढ़ाकर रू0 3,00,000/— मात्र किये जाने एवं योजना पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 1,17,98,40,000/— (रू0 एक सौ सत्रह करोड़ अठानवे लाख चालीस हजार) मात्र की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या—1171, दिनांक—15.05.2015 द्वारा राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू0 1,50,000/— (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र रू0 10,000/— (रूपये दस हजार) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

- उपर्युक्त आय अधिसीमा का निर्धारण योजना प्रारंभ करने के समय में अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं में लागू आय अधिसीमा के अनुरूप किया गया था। बाद के वर्षों में अन्य योजनाओं के तहत वार्षिक आय अधिसीमा को बढ़ाया गया है। दस वर्ष पूर्व में निर्धारित वार्षिक आय अधिसीमा (रू0 1.50 लाख), वर्तमान में बढ़ती महंगाई के परिप्रेक्ष्य में कम रहने के कारण मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के कई गरीब छात्र योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
- अतः सम्यक् विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रू0 1,50,000/— मात्र को बढ़ाकर रू0 3,00,000/— मात्र किये जाने एवं योजना पुनरीक्षण के फलस्वरूप

कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 1,17,98,40,000/—(रू0 एक सौ सत्रह करोड़ अठानवे लाख चालीस हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. **बजट शीर्ष**।—राज्य स्कीम माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-3402-प्रोत्साहन विपत्र कोड-11-2225032770101 के तहत भारित होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-29.01.2026 में मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच० आर० श्रीनिवास,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 176-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>